

# छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय रायपुर

क्रमांक

/वि.स./स्था /2019

रायपुर, दिनांक /2019

## कार्यालय-सूचना

आदेशानुसार, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19 के प्रावधानानुसार प्रत्येक शासकीय सेवक (चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर) प्रतिवर्ष 31 जनवरी, 2019 तक संपत्ति विवरण प्रस्तुत किया जाना है ।

अतः विधान सभा सचिवालय में पदस्थ समस्त अधिकारियों तथा तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि संपत्ति विवरणी प्रपत्र स्थापना शाखा से प्राप्त कर तथा आवश्यक पूर्ति उपरांत 31 जनवरी, 2019 तक स्थापना शाखा में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें ।

आदेश से,



संचालक

छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर, दिनांक 03/01/2019

पृ. क्रमांक 44 /वि.स./स्था./2019

प्रतिलिपि

01. मान.अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव को मान.अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, सचिवालय, के निज सचिव, को सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
03. सर्व संबंधित अधिकारी/कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, के सूचनार्थ ।
04. सर्वर कक्ष ।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा